बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:–ceo_bihar@eci.gov.in

1324

पत्रांक: Exp-07/2021 2347 पटना, दिनांक 17 जुलाई, 2021 ई0।

प्रेषक

मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

अध्यक्ष/सचिव

दल का नाम– **Samagra Utthan Party**

पता– **Center Office : House No. B/9, Vivekanand Park Marg, Patlitputra Colony, Patna, Bihar-800013**

(अमान्यता प्राप्त किन्तु रजिस्ट्रीकृत दल जिनका कार्यालय बिहार राज्य में स्थित है)।

विषय:– दल संबंधी निधियों तथा निर्वाचन व्यय में पारदर्शिता और लेखाकंन पर दिशा–निर्देश–अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण के संबंध में।

प्रसंग:– (1) भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29 अगस्त, 2014
(2) भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2014 दिनांक 14 अक्टूबर, 2014.
(3) भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2014.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ किया जाये। भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29 अगस्त, 2014 एवं पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2014, जो सीधे सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव एवं कोषाध्यक्ष को सम्बोधित है, द्वारा राजनैतिक दलों के निधियों एवं निर्वाचन व्यय में पारदर्शिता और लेखांकन पर दिशा–निर्देश दिये गये हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अधिसूचना सं0–56/2019/PPS-III दिनांक 15.03.2019 के क्रमांक 1917 पर रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल (अमान्यता प्राप्त) के रूप में अंकित है। उक्त अधिसूचना में अंकित पता बिहार राज्य में अवस्थित है।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2014 दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा निदेशित किया गया है कि अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल निम्नलिखित रिपोर्ट/विवरण उस राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे, जिस राज्य में राजनैतिक दल का मुख्यालय अवस्थित है:–

(क) फार्म 24 क में अंशदान रिपोर्ट (Contribution Report in Form 24A)
(ख) वार्षिक लेखा–परीक्षित लेखा (Annual Audited Account)
(ग) निर्वाचन व्यय रिपोर्ट/विवरण (Statement of Election Expenditure)

अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा उक्त रिपोर्ट/विवरण को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तारीख निम्न अनुसार होगी:–

(1) अंशदान रिपोर्ट (फार्म–24क में) – अंशदान रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर या आयकर विवरणी दाखित करने के लिए सी0बी0डी0टी0 द्वारा यथा–विस्तारित वैसी तारीख तक।
(2) वार्षिक लेखा–परीक्षित लेखा – प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक।
(3) निर्वाचन व्यय का विवरण – विधान सभा निर्वाचन के पूरा होने के 75 दिनों और लोक सभा निर्वाचन के पूरा होने के 90 दिनों के भीतर।

उक्त पत्र की कंडिका–3(iv) में अंकित है कि रिपोर्ट/विवरण को जमा कराने में हुई चूक संबंधी मामले में संबंधित राजनैतिक दलों को इस संबंध में पत्र लिखकर उनके ध्यान में लाना चाहिए और इस पत्र को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाईट पर डाला जाना चाहिए।

आपके स्तर से वर्ष 2020 का प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। फलस्वरूप उक्त पत्र नोटिस के रूप में निर्गत है और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट http://ceobihar.nic.in पर यथा स्थान संधारित है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देश के आलोक में विहित समय एवं रीति के अनुसार वांछित रिपोर्ट/विवरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में जमा कराने की कृपा की जाये।

अनु0:– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

17/7/2021

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

1155

अनुलग्नक-च4

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

सं0 : 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013 दिनांक : 29 अगस्त, 2014

सेवा में,

1. सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष / महा सचिव
2. सभी राजनीतिक दलों के कोषाध्यक्ष

विषय: दल की निधियों एवं निर्वाचन व्यय मामलों में पारदर्शिता एवं लेखांकन पर दिशा-निर्देश-तत्संबंधी |

महोदय / महोदया,

संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वावम आयोजित करवाने का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन अयोग में निहित है। विभिन्न क्षेत्रों से चिन्ताएं व्यक्त की गई हैं कि धन बल एक समान अवसर में अवरोधक बन रहा है और निर्वाचनों की शुद्धता दूषित कर रहा है। निर्वाचनों के दौरान धन बल के दुरूपयोग को रोकने के लिए आयोग ने समय-समय पर अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों को पूर्व में अनेक अनुदेश जारी किए हैं।

2. राजनीतिक दलों से यह अपेक्षित है वे निर्वाचनों के दौरान एवं अन्य समय, दोनों में, जुटाई गई निधियों एवं उपगत व्यय के संबंध में पारदर्शिता एवं लेखांकन का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के आयोजन के संबंध में यह आवश्यक और व्यावहारिक है कि राजनीतिक दलों की निधियों के संबंध में पारदर्शिता लाने एवं लेखांकन के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध करवाए जाएं |

3. दिशा-निर्देशों को प्रतिपादित करने के संबंध में, आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से टिप्पणी /सुझाव / इनपुट्स मांगे हैं। इन दलों में से अधिकतर ने पारदर्शिता संबंधी दिशा निर्देशों के मुद्दे का समर्थन किया है जबकि कुछ अन्यों के भिन्न मत थे। राजनीतिक दलों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए और निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता के हित में, आयोग ने राजनीतिक दलों को निधियन में पारदर्शिता लाने एवं लेखांकन के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निम्नलिखित दिशा निर्देश एतद्द्वारा जारी किए हैं:-

(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13क का परन्तुक (क), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित करता है कि राजनीतिक दल लेखों की ऐसी पुस्तकें रखेंगे और अनुरक्षित करेंगे जिसमें से उनकी आय से उचित कटौती की जा सके। तद्नुसार, यह अपेक्षित है कि (क) राजनीतिक दल का

132

कोषाध्यक्ष या ऐसा व्यक्ति जो दल के द्वारा प्राधिकृत है, सभी राज्य और नीचले स्तरों के लेखों के अनुरक्षण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, दल के केन्द्रीय मुख्यालय में समेकित लेखों का, उपरोक्त प्रावधान के अधीन, अपेक्षित रीति से अनुरक्षण करेगा (ख) उसके द्वारा अनुरक्षित लेखों को द इन्सीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी राजनीतिक दलों के लेखांकन एवं लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार होना होगा और (ग) वार्षिक लेखा, योग्यता प्राप्त पेशेवर चार्टर्ड अकाउण्टैंट द्वारा लेखा-परीक्षित एवं प्रमाणित किया जाएगा।

(ii) आयोग ने नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं में 8 अक्तूबर, 2010 से संशोधन किया है जिसमें दल को, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति जमा करवानी अपेक्षित है। तद्नुसार, एकरूपता लाने के लिए, सभी राजनीतिक दल आयोग को या नीचे पैरा (गप) में उल्लेखित ऐसे प्राधिकारी को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ परीक्षित, वार्षिक लेखों की एक प्रति प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर से पहले प्रस्तुत करेंगे।

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी जी बी एवं 80 जी जी सी के प्रावधान में, अन्य बातों के साथ-साथ यह वर्णित है कि किसी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा नकदी के रूप में राजनीतिक दल को किए गए अंशदान में से कोई भी कटौती करने के अनुमति नहीं दी जाएगी। तद्नुसार, राजनीतिक दल अपनी जन सभाओं के दौरान जनता द्वारा दान की गई खुदरा राशियों को छोडकर, सभी ऐसे व्यक्तियों, कम्पनियों या इकाईयों के नाम एवं पते का अनुरक्षण करेंगे जो उनको दान देते हैं। इसके अतिरिक्त, नकदी के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की राशि/दान संबंधित लेखा पुस्तक में विधिवत रूप से लेखांकित किया जाएगा एवं इसकी प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर, दल के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। यद्यपि, दल के दिन-प्रतिदिन की कार्य पद्धति के लिए एवं नकद व्यय के भुगतान के लिए, दल अपेक्षित यथोचित राशि रख सकता है।

(iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40क (3) यह उपबंधित करता है कि आयकर नियम, 1962 के नियम 6 घ घ में यथा उपबंधित छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर, किसी भी व्यापारिक इकाई द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन में रू. 20,000/-* से अधिक के सभी भुगतान अकाउण्ट पेई चैक/ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार, यदि कोई दल किसी प्रकार का व्यय कर रहा है तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि रू. 20,000 /-* से अधिक के कोई भी भुगतान एक दिन में किसी व्यक्ति या कम्पनी या इकाई को नकदी के रूप नहीं किया जाए, सिवाय जहां (क) भुगतान किसी गांव या नगर में किया जाता है जहां पर बैंक की सेवाए उपलब्ध नहीं है; या (ख) भुगतान किसी कर्मचारी या दल के कार्यकर्त्ता को वेतन, पेंशन या उसके व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाता है; या (ग) किसी विधि के अधीन नकद भुगतान अपेक्षित है।

(v) लोक प्रतिनिधित्व अधिनिमय, 1951 की धारा 77(3) किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय की उच्चतम सीमा को उपबंधित करती है। अतः, यदि दल अपने अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्यय में कोई

वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना चाहता है तो यह सहायता निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगी। दल द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का भुगतान केवल क्रॉस अकाउण्ट पेई चैक या ड्राफ्ट या बैंक अकाउण्ट ट्रान्सफर के माध्यम से किया जाएगा न कि नकदी के रूप में।

(vi) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सभी रिपोर्ट अर्थात फार्म 24क में अंशदान की रिपोर्ट, उपरोक्त पैरा 3(प) में संदर्भित चार्टर्ड अकाउण्टैंट द्वारा यथा प्रमाणित लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, और निर्वाचन व्यय विवरण निर्वाचन आयोग के पास दाखिल करेंगे जबकि गैर मान्यता प्राप्त दल यह सब संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी ई ओ) (अर्थात जहां दल का मुख्यालय स्थित है) के पास निर्धारित समय एवं रीति से दाखिल करेंगे।

4. उपर्युक्त दिशा-निर्देश सभी राजनीतिक दलों पर 01 अक्तूबर, 2014 से लागू होंगे।

भवदीय,

ह./-

(मलय मल्लिक)

अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इसे अपने संबंधित राज्यों के सभी राजनीतिक दलों के नोटिस में लाया जाए।
2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को राजनीतिक दलों के लिए उपयुक्त नियम बनाने के संदर्भ में।
3. अध्यक्ष, इन्सीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टैंट ऑफ इण्डिया, आई सी ए आई भवन, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, बाक्स न. 7100, नई दिल्ली-110002 को राजनीतिक दलों के मार्गदर्शी नोट पर बिन्दुओं को शामिल करने के संदर्भ में।

***कृप्या अनुलग्नक- ङ9 और अनुलग्नक- ङ10 को देखें।**

अनुलग्नक–च6

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं. 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013 दिनांक : 19 नवंबर, 2014

सेवा में

1. सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव
2. सभी राजनैतिक दलों के कोषाध्यक्ष

विषय : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29.08.2014 को जारी राजनैतिक दलों के लिए पारदर्शिता दिशा–निर्देशों का स्पष्टीकरण–तत्संबंधी मामला।

महोदय/महोदया

आयोग के दिनांक 29.08.2014 के पत्र संख्या 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 का कृपया संदर्भ लें जिसमें आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 का अवलंबन लेते हुए राजनैतिक दलों के लिए पारदर्शिता दिशा–निर्देश जारी किए हैं। आयोग की शक्तियों के बारे में संदेह करते हुए कुछ पार्टियों की ओर से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन्होंने कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा है। अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात, निम्नलिखित मामलों पर एतद्द्वारा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है :

1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन, आयोग के पास सर्वांगीण शक्तियां हैं और देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन कराना इसका पवित्र कर्तव्य है। हाल ही में, निर्वाचन अभियानों में काले धन के बढ़ते हुए प्रयोग की सूचनाएं मिली हैं जोकि चारों ओर गहरी चिंता का विषय है। निर्वाचनों में काले धन का प्रयोग अभ्यर्थियों को एक समान अवसर देने में बाधा उत्पन्न करने के साथ–साथ निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दूषित करता है। अतः, संविधान में यथा प्रतिष्ठापित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन और निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता के संरक्षण के उद्देश्य से पारदर्शिता दिशा–निर्देशों की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र में विधिक शून्यता थी जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है, जैसा कि मोहिन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (एआईआर 1978 एस सी 851) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था।

2. इन दिशा निर्देशों को सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से सम्यक् विचार–विमर्श के पश्चात ही तैयार किया गया था। इस प्रकार से, अनुच्छेद 324 के अधीन आयोग द्वारा जारी विधियुक्त अनुदेश सभी राजनैतिक दलों पर बाध्यकारी हैं और उनका उल्लंघन निर्वाचन प्रक्रिया, जो कि किसी भी लोकतंत्र की आधार शिला है, की पारदर्शिता को प्रभावित करेगा।

3. राजनैतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनैतिक दलों को वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों को अनिवार्य रूप से आयोग को दाखिल करने के अनुदेश दिए गए हैं, जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों हेतु आवश्यक घटक हैं। ऐसे व्यक्तियों, कम्पनियों तथा हस्तियों का नाम और पता रखने के निदेश दिए गए हैं जो राजनैतिक दलों को चंदा देते हैं, इसका अभिप्रेत यह सुनिश्चित करना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख में यथा अनुबद्ध निषिद्ध स्त्रोंतों से राजनैतिक दलों द्वारा कोई पूंजी प्राप्त नहीं की जा रही है। तथापि, आयोग लोक बैठकों/रैलियों में राजनैतिक दलों द्वारा

हुंडी/बकेट कलेक्शन के माध्यम से पूंजी जुटाने की कार्यप्रणाली के संबंध में सचेत हैं, जहां दान देने वालों के नाम व पते का रिकार्ड रखना संभव नहीं होता। अत:, आयोग ने ऐसी वसूली को उपर्युक्त अनुदेशों की परिधि से बाहर रखा है। सार्वजनिक बैठकों/रैली में हुंडी/बकेट कलेक्शन के माध्यम से एकत्र किए गए चंदे को छोड़कर, सभी चंदों के मामले में राजनैतिक दल द्वारा प्रत्येक दान देने वाले के नाम व पते का रिकार्ड रखा जाना अपेक्षित होता है जैसा कि अन्य सभी सामाजिक/सिविल सोसाइटी/संगठनों द्वारा किया जाता है।

4. रोजमर्रा खर्च होने वाली अपेक्षित राशि को छोड़कर राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त की गई नकदी 10 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर उनके बैंक खातों में जमा करवा दी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि रोजमर्रा के होने वाले खर्च के प्रयोजनार्थ पंजीकृत राजनैतिक दल के हाथ में कुल राशि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पार्टी के औसत मासिक नकदी व्यय से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. सभी राजनैतिक दल माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अनुबद्ध लोक सभा निर्वाचनों के 90 दिनों के अंदर या विधान सभा निर्वाचन के 75 दिनों के अंदर भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करेंगे और इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि पार्टियां नियत समय सीमा के अंदर अपने निर्वाचन व्यय का वास्तविक एवं यथातथ्य विवरण दाखिल करें। चूंकि, सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के बैंक खाते हैं और सभी को संयुक्त रूप से प्रोत्साहित करने हेतु बैंक की विस्तारित सेवाएं हैं, उपरोक्त पारदर्शिता दिशा–निर्देश के पैरा (IV) में यथा उल्लिखित भुगतान के अतिरिक्त सभी दल किसी व्यक्ति या हस्ती को एक ही दिन में 20,000 रु. से अधिक का भुगतान एकाउंट पेइ चैक या ड्राफ्ट या एकाउंट ट्रांसफर द्वारा करेंगे। इससे निर्वाचनों के दौरान नकदी के अत्याधिक प्रवाह को रोकने में मदद मिलेगी और यह पार्टियों के निर्वाचन व्यय में पारदर्शिता भी लाएगा।

6. आयोग का यह प्रयास रहा है कि निर्वाचनों के दौरान सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने हेतु समान अवसर उपलब्ध हों। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के हित में सभी पार्टियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग द्वारा जारी पारदर्शिता दिशा निर्देशों का अनुसरण करें और आयोग के विधिपूर्ण निदेशों के उल्लंघन पर निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 16क के अधीन यथा परिकल्पित कार्रवाई होगी।

भवदीय

(मलय मल्लिक)
अवर सचिव

अनुलग्नक–च5

अनुबंध-93
स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2014 दिनांक : 14 अक्तूबर, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : दल संबंधी निधियों तथा निर्वाचन व्यय में पारदर्शिता और लेखाकंन पर दिशा-निर्देश-अमान्यत प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आयोग के दिनांक 29 अगस्त, 2014 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल निर्धारित समय के अंदर तथा विधि के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग को सभी रिपोर्ट यथा; (क) फार्म 24 में अंशदान रिपोर्ट, (ख) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे (ग) निर्वाचन व्यय विवरण जमा करवाएंगे जबकि अमान्यता प्राप्त दल यही सब रिपोर्ट संबंधित राज्य (अर्थात वह राज्य जहां पार्टी मुख्यालय स्थित है) के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जमा करवाएंगे। उपरोलिखित दिशा-निर्देश 01 अक्तूबर, 2014 से सभी राजनैतिक दलों को लागू हो गए हैं (प्रति संलग्न)।

2. उपर्युक्त के अवलोकन में मुझे आपसे यह अनुरोध करने के निदेश दिए गए है कि कआप इसे आयोग की प्रतीक आदेश अधिसूचना के अनुसार ऐसे सभी राजनैतिक दलों जिनका राज्य में मुख्यालय है जिन्होंने पत्र व्यवहार के लिए अधिकारिक पते दिए हुए है, के ध्यान में लाएं ताकि वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। (आयोग की दिनांक 10.03.2014 की प्रतीक आदेश अधिसूचना दिनांक 16.09.2014 की संशोधन अधिसूचना और दिनांक 26.09.2014 का पत्र सं. 56/2014/पीपीएस-II की प्रति तुरंत संदर्भ के लिए एतद्द्वारा संलग्न किए जा रहे है)।

3. राज्यीय स्तर के अमान्यता प्राप्त दलों से रिपोर्टें प्राप्त होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:

(i) अंशदान रिपोर्टों, वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों तथा निर्वाचन व्यय के विवरणों की स्कैनड प्रतियों को उनकी प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर जनता के दर्शनार्थ संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसे "राज्यीय स्तर राजनैतिक दलों की रिपोर्टें और लेखा विवरण," जिसका लिंक "वर्तमान खबरें" से होगा, के शीर्ष के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

(ii) अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा जमा कराई गई रिपोर्टों/विवरणों की सूची को समेकित करके उनकी प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर, एतद्द्वारा संलग्न प्रारूप (अनुबंध-क, ख, ग) के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। किसी भी राजनैतिक दल से विवरण/रिपोर्ट की प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर जिला

निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा इस सूची का आवधिक अद्यतन किया जाएगा। संबंधित पार्टी की रिपोर्ट/विवरणी की स्कैनड प्रतियों का स्टेटस रिपोर्ट के साथ लिंक होना चाहिए।

(iii) राजनैतिक दलों द्वारा रिपोर्टों/विवरणों को जमा कराने की अंतिम तारीख निम्न अनुसार होगी :

1. अंशदान रिपोर्ट-आयकर विवरणी भरने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर या केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर द्वारा आगे बढ़ाई गई ऐसी कोई तारीख
2. वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे-प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर
3. निर्वाचन व्यय का विवरण-विधान सभा निर्वाचन की समाप्ति के 75 दिनों के अंदर और लोक सभा निर्वाचन की समाप्ति के 90 दिनों के अंदर

(iv) रिपोर्टों/विवरणों को जमा कराने में हुई चूक संबधी मामले में संबंधित राजनैतिक दलों को इस संबंध में पत्र लिखकर संबंधित चूक को उनके ध्यान में लाना चाहिए और इस पत्र को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।

(v) अंशदान रिपोर्ट की प्रति को संबंधित राज्य के आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त को भी अग्रेषित किया जाएगा जिसमें राजनैतिक दल द्वारा ऐसी रिपोर्ट के प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख होगा। जिन पार्टियों ने समय पर अंशदान रिपोर्ट को जमा नहीं कराया है उनका आयकर विभाग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग के अनुरूप उन्हें मिलने वाले टैक्स लाभों को नकारने के लिए कारवाई की जाएगी।

(vi) विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा-2 खंड(1) के अधीन यथा पारिभाषित विदेशी स्रोतों से प्राप्त किसी भी प्रकार के चंदे के बारे में उस मंत्रालय द्वारा कार्रवाई और संवीक्षा के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी अंशदान रिपोर्ट अग्रेषित की जानी चाहिए।

भवदीय,
(मलय मल्लिक)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:

निदेशक (आई.टी.) मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा ई सी आई की वेबसाइट में प्रस्तावित परिवर्तन करने के लिए।